

सेवामें,

श्रीमान सरपंच सा.

ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति .....

जिला .....

**विषय :- आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह का पट्टा चाहने बाबत।**

महोदय जी,

उपयुक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत ..... क्षेत्र में मेरे स्वयं का आबादी भूमि में पुराना गृह है जो कि मुझे बंटवारे/विरासत/खरीदा हुआ है यह गृह जिसका नाप पूर्व पश्चिम ..... फीट उत्तर दक्षिण ..... फीट कुल क्षेत्रफल ..... वर्ग फीट है तथा लगभग 50 वर्ष से अधिक/कम के दौरान बने गृह जिसके पड़ोस निम्न प्रकार है। अ. न.....किस्म आबादी पूर्व ..... पश्चिम..... उत्तर..... दक्षिण .....

अतः श्रीमान से सादर निवेदन है कि मुझे पुराने गृह का पट्टा दिलाने का कष्ट करावे।

हस्ताक्षर प्राथी मय पता

कार्यालय पटवार गण्डल..... तहसील ..... जिला .....

## किस्म भूमि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पुत्र श्री .....  
जाति ..... निवासी ..... का पुराना गृह (आवासिय) जो  
ग्राम .....के खसरा नं. ....किस्म आबादी भूमि में स्थित है

जिसके पड़ोस व नाप निम्नानुसार है।

पूर्व .....

पश्चिम.....

उत्तर.....

दक्षिण .....

अतः प्रार्थी श्री ..... को पुराने गृहों के विनियमितकरण नियम के  
अनुसार पट्टा देने की सिफारीश की जाती है।

हस्ताक्षर पटवारी

## शपथ — पत्र

मैं ..... पुत्र श्री .....

जाति ..... उम्र ..... वर्ष, गांव .....

तहसील ..... जिला ..... हल्फ से बयान करता हूँ कि:-

1. कि मैं ग्राम ..... का निवासी हूँ।
2. कि मैंने जिस पुराने गृह का विनियमितकरण के तहत पट्टा हेतु पंचायत से निवेदन किया है यह गृह पंचायत क्षेत्र के गांव .....की आबादी भूमि के खसरा नं. .... में आया हुआ है।
3. कि इस गृह पर मेरा स्वयं का कब्जा है तथा इसको मैंने बटवाड़े/विरासत/खरीदा हुआ तथा इस पर हमारे परिवार का कब्जा 50 वर्षों से कम /अधिक पुराना है ।
4. कि इस गृह का (पुश्तेनी) भाई बंट कर लिया है अन्य किसी का हक हिस्सा नहीं है। इसके लिए मैं ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ।
5. कि इस गृह के विनियमितकरण के तहत पट्टा जारी करने से किसी भी नागरिक के सुखाचार व सुविधाओं, सुन्दरता, सफाई के संबंधि अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।
6. कि यह गृह रेल्वे लाईन से ..... फीट, राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्यरेखा से ..... फीट, राज्य राजमार्ग और जिला सड़को की मध्यरेखा से ..... फीट, अन्य जिला सड़को व गांव की सड़को की मध्य रेखा से फीट ..... है ।
7. कि इस गृह का मैंने/ मेरे पिताजी/मेरे भाईयो/विक्रेता मे से किसी ने भी पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई पट्टा जारी नहीं कराया है।
8. कि यह गृह समस्त न्यायालय विवादो से रहित है अर्थात इस गृह के संबंध मे कोई विवाद न तो न्यायालय मे विचाराधीन है न ही न्यायालय में चला है।
9. कि इस गृह के संबंध मे विवाद होता है। तो इसके लिए केवल और केवल मे ही /मेरा परिवार उत्तरदायी है।
10. कि इस गृह के संबंध में उपरोक्त कलम संख्या 1 से 9 लगातार में अंकित होकर सत्य एवं सही है यदि गलत पाया जाता है तो पट्टा निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

## अनापत्ती प्रमाण पत्र

श्री ..... पिता श्री ..... जाति .....

निवासी ..... तहसील ..... जिन्होंने ग्राम पंचायत में पुराने गृह के विनियमितकरण के तहत पट्टा लेने प्रार्थना पत्र पेश किया है। इनको अगर पट्टा दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

1. प्रार्थी के माता पिता के हस्ताक्षर

1. पिता .....

2. माता .....

2. प्रार्थी के भाईयों के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

चारो पड़ोसियों के हस्ताक्षर :

1 पूर्व (रास्ता होने पर रास्ते की चौड़ाई व उसके आगे वाले पड़ोसी).....

2 पश्चिम (रास्ता होने पर रास्ते की चौड़ाई व उसके आगे वाले पड़ोसी).....

3 उत्तर (रास्ता होने पर रास्ते की चौड़ाई व उसके आगे वाले पड़ोसी).....

4 दक्षिण (रास्ता होने पर रास्ते की चौड़ाई व उसके आगे वाले पड़ोसी).....

## बयान फार्म

कार्यालय ..... जिला .....

"मैं शपथ पूर्वक सत्य सम्पूर्ण और शुद्ध बात कहूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा ईश्वर मेरी सहायता करे"।

श्री ..... पिता .....जाति .....

उम्र ..... (65 वर्ष से अधिक ) व्यवसाय..... निवासी .....

तहसील ..... जिला .....राज.

इजलास स्थान ..... तारीख .....

हस्ताक्षर बयानकर्ता

5. क्या इस पुराने गृह के सम्बन्ध में न्यायालय में कोई विवाद / विचाराधीन है।	
6. क्या प्रार्थी का इस पुराने गृह पर कब्जा है।	
7. यह पुराने गृह का विनियमितिकरण अ. रल्वे लाईन से एक सौ फीट से अधिक/कम दूर है। ब. राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्य रेखा से 150 फिट अधिक/कम दूर है। स. राज्य राजमार्ग और जिला सड़को की मध्य रेखा से 75 फिट अधिक/कम दूर है। द. अन्य जिला सड़को एवं गांव की सड़को की मध्य रेखा से 50 फिट अधिक/कम दूर है।	..... ..... ..... ..... .....

पूर्व .....

पश्चिम.....

उत्तर.....

दक्षिण .....

जमीन का नक्शा जो शामिल पूर्व है कुल क्षेत्रफल ..... अनुसार का ठीक है।

मुल्यांकन एवं विनियमितिकरण से संबध मे रिपोर्ट।

1. इस पुराने गृह पर प्रार्थी का हक बदस्तुर है।
2. अतः इस पुराने गृह का विनियमितिकरण नियम 157 राप सामान्य नियम 1996 के तहत कर दिया जावे। इति।

हस्ताक्षर पंच जो रिपोर्ट देते है।

1. हस्ताक्षर पंच

2. हस्ताक्षर पंच

3. हस्ताक्षर पंच

तस्दीक सरपंच

इस गृह के पड़ोसियों का ब्योरा निम्ननुसार है।

पूर्व .....

पश्चिम .....

उत्तर .....

दक्षिण .....

खसरा नं. .... किरम आबादी भूमि है।

हस्ताक्षर

### सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में अंकित कलम संख्या 1 से 10 तक लगातार में अंकित होकर, पुरे होश हवास में रहकर ग्राम पंचायत को लिखकर देता हूँ साथ इसमें गलत या दोषी होने पर ग्राम पंचायत को पट्टा निरस्त करने का अधिकार होगा। जिससे मुझे व मेरे परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर

गवाह :-

हमारे सामने उपयुक्त शपथ पत्र लिखा तथा शपथ पूर्वक प्रार्थी द्वारा घोषणा की गई है साथ ही हमारे ज्ञान के अनुसार यह गृह पुश्तेनी/बापोती/खरीदा हुआ है तथा प्रार्थी का कब्जा है एवं यह गृह 50 अधिक /कम वर्ष पुराना है अतः प्रार्थी को पट्टा देने की सिफारीश हमारे द्वारा की जाती है।

1. श्री ..... पिता .....जाति .....

उम्र ..... (65 वर्ष से अधिक) निवासी .....

तहसील ..... जिला .....

हस्ताक्षर गवाह

2. श्री ..... पिता .....जाति .....

उम्र ..... (65 वर्ष से अधिक) निवासी .....

तहसील ..... जिला .....

हस्ताक्षर गवाह

आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह के विनियमितकरण के सम्बन्ध में आरोप आमंत्रित करने का  
सूचना पत्र

ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति.....जिला.....

## सूचना पत्र

संख्या .....

दिनांक.....

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री..... पुत्र .....

.....निवासी ..... ने इस पंचायत में नीचे वर्णित पुराने

गृह का विनियमितकरण के नियम 157 के तहत पट्टे हेतु आवेदन किया है ।

भूमि का वर्णन

पूर्व .....

पश्चिम .....

उत्तर .....

दक्षिण .....

खसरा नं. .... किस्म आबादी भूमि

यदि किसी को भी उपर उल्लेखित पडौंसियों के मध्य स्थित गृह के सम्बन्ध में कोई भी  
आपेक्ष हो तो उसे सूचना पत्र की तारीख से एक माह के भीतर पंचायत कार्यालय में कार्यालय  
समय में दर्ज करावे ।

पंचायत की मोहर

सरपंच के हस्ताक्षर



# आबादी भूमि मे स्थित पुराने गृह का निरीक्षण प्रपत्र

पट्टा कार्यवाही के नियम 146 राप.सामान्य नियम 1996 के अधीन आबादी भूमि मे स्थित पुराने गृह के विनियमितकरण पट्टे संबंधी मनोनित पंचो (सदस्यों) की रिपोर्ट।

पट्टा मिसल सं. .... वर्ष .....

आज दिनांक ..... को हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता (मनोनित सदस्य) श्री .....

.....श्री .....श्री .....

ने प्रार्थी श्री ..... पुत्र श्री .....

जाति ..... निवासी ..... के आवेदन पत्र बाबत पुराने गृह का विनियमितकरण का पेश होने पर देखा विवरण निम्न प्रकार है।

भूमि ✓ स्थान वाके ..... ग्राम ..... मे स्थित है।

1. क्या आवेदित पुराने गृह का विनियमितकरण ग्रामीणो द्वारा आने जाने के लिए उपयुक्त सुविधाओं को प्रभावित करेगा ?	
2. क्या ऐसा पुराने गृह का विनियमितकरण अन्य व्यक्तियों के सुखाचार संबंधि अधिकारो को प्रभावित करेगा ?	
3. क्या ऐसा पुराने गृह का विनियमितकरण परिक्षेत्र की सुन्दरता व सफाई को प्रभावित करेगा ?	
4. क्या इस पुराने गृह का स्वामित्व विवाद ग्रंथ है।	

## नक्शा आबादी भूमि

ग्राम ..... ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति .....  
जिला .....

पैमाना .....

स्थिति- यह भूमि ग्राम ..... से ..... दिशा की ओर है आ. नं. ....  
..... किस्म आबादी ।

पूर्व .....

पश्चिम .....

उत्तर .....

दक्षिण .....

नाम दिशा	औसत	नाम दिशा	औसत	क्षेत्रफल
उत्तर दक्षिण		पूर्व - पश्चिम		

उपरोक्त नक्शा मेरे पुराने गृह का है जो आबादी भूमि में स्थित है जिसके पट्टे हेतु प्रार्थना पत्र  
ता. .... को ग्राम पंचायत में पेश किया नक्शा मेरे द्वारा/पंचायत द्वारा तैयार  
करा कर आज तारीख ..... को श्रीमान सरपंच सोहन द्वारा ग्राम पंचायत .....  
की सेवा में पेश किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर नक्शा नवीस

हस्ताक्षर/तारीख

यह नक्शा श्री ..... जी ने आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह का पट्टा हेतु हमारे  
सामने ता. .... को पेश किया। इस पर उचित कार्यवाही ग्राम सेवक पदेन सचिव द्वारा  
की जावे। नक्शा मिसल में संलग्न करे

हस्ताक्षर सरपंच

पुराने गृह का विनियमितकरण पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र के

### साथ लगने वाली चेक लिस्ट

1. प्रार्थना पत्र ।
2. आबादी नक्शा ।
3. पटवारी का किस्म भूमि प्रमाण पत्र ।
4. अनापत्ति प्रमाण पत्र, माता पिता, भाईयों एवं चारो पड़ोसियों का ।
5. प्रार्थी का शपथ पत्र 10 रु. के स्टाम्प पर व 65 वर्ष से अधिक उम्र के दो व्यक्तियों के गवाह के रूप में हस्ताक्षर जिसे नोटरी द्वारा प्रमाणित किया गया हो ।
6. पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र मय प्रमाणित सजरा/गृह की रजिस्ट्री की प्रमाणित छाया प्रति
7. नल/लाईट बिल की प्रमाणित छाया प्रति।
8. राशन कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति।
9. मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
10. स्वयं के पारापोर्ट साईज के तीन रंगीन फोटो ।
11. गृह की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए एक त्रिविमिय रंगीन फोटोग्राफ।
12. 65 वर्ष से अधिक उम्र के दो व्यक्तियों के बयान फार्म ।
13. पुराने गृह का विनियमितकरण के सम्बन्ध में तीन पंचो का निरीक्षण प्रपत्र।
14. आपत्ति गाने का पत्र जिस पर यह अंकित हो कि उसको कहीं-कहीं चिपकाया गया है तथा प्रमाण स्वरूप दस मोतबीर व पड़ोसियों के हस्ताक्षरशुदा।